इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332] भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 जुलाई 2012—आषाढ़ 27, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्र. 16293-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 23 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 18 जुलाई, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१२

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१२

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा १७ का स्थापन. २. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ (क्रमांक १३ सन् १९९८) की धारा १७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

भर्ती का तरीका. "१७. (१) विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा परीक्षा नियंत्रक का पद मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के अधिकारियों से भरा जाएगा और ऐसे अधिकारियों की अनुपलब्धता की दशा में, ऐसे पद, कुलाधिपति द्वारा उपयुक्त अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कर भरे जाएंगे.

(२) विश्वविद्यालय के अन्य संवर्गों के अन्य अधिकारियों के पद विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा अध्यापकों से भरे जाएंगे और ऐसे अधिकारियों तथा अध्यापकों की अनुपलब्धता की दशा में, ऐसे पद, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के अधिकारियों से या कुलाधिपति द्वारा, उपयुक्त अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कर भरे जाएंगे.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ (क्रमांक १३ सन् १९९८) की धारा १७ में, विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा अन्य संवर्गों की भर्ती मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के अधिकारियों से करने का उपबंध है.

२ यत: मध्यप्रदेश का एकमात्र ऐसा तकनीकी विश्वविद्यालय होने के कारण, जिससे कि समस्त इंजीनियरिंग, पोलीटेक्निक, फार्मेसी और कम्प्यूटर शिक्षा के महाविद्यालय सम्बद्ध हैं, विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रशासनिक पदों को रिक्त नहीं रखा जा सकता है.

३. कुलसचिव तथा परीक्षा नियंत्रक के प्रमुख पदों को छोड़कर, जो कि मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के व्यक्तियों से भरे जाते रहेंगे, विश्वविद्यालय के अधीनस्थ पदों पर कार्य करने के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अधिकारियों को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता है. अतएव, मूल अधिनियम की धारा १७ में यथोचित् संशोधन प्रस्तावित हैं.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १३ जुलाई, २०१२.

लक्ष्मीकांत शर्मा
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई 2012—आषाढ़ 28, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. 4344-240-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 23 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 23 OF 2012

THE RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012

A Bill further to amend the Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1998.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

Substitution of Section 17.

2. For Section 17 of the Rajiv Gandhi Proudyhogiki Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1998 (No. 13 of 1998), the following section shall be substituted, namely :—

Mode of recruitment.

"17.(1) The post of Registrar and controller of Examination of the Vishwavidyalaya shall be filled from the officers of the Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service and in case of non-availability of such officers,such posts shall be filled in by the Kuladhipati by securing the services of suitable officers on deputation.

(2) Other cadres of other officers of the Vishwavidyalaya shall be filled from the officers and teachers of the Vishwavidyalaya and in case of non-availability of such officers and teachers, the posts shall be filled in from the officers of the Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service or by the Kuladhipati by securing the services of suitable officers on deputation.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Section 17 of the Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1998 (No. 13 of 1998), there is a provision for recruitment of the Registrar and such other cadres of the Vishwavidyalaya from the officers of the Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service.

2. WHEREAS, key administrative posts in the Vishwavidyalaya cannot be kept vacant being the only technical university of Madhya Pradesh to which all the colleges of Engineering, Polytechnic, Pharmacy and Computer education are affiliated.

3. There is a need to allow teachers and officers of the Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya to work on the subordinate posts of Vishwavidyalaya, other than the key posts of the Registrar and Controller of Examination, which will continue to be filled up by persons from the Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service. Therefore, suitable amendment is proposed in Section 17 of the principal Act.

4. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, 13th July 2012.

LAXMIKANT SHARMA
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.